25-05-18 पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी हाजिर पत्रावली का अवलोकन किया, ग्राम अजगरी की जमाबंदी खेवट खतौनी के खाता सं. नया-पुराना 1 खसरा न. 422 रकबा 29-16-00 बारानी 3 सिवायचक खात में दर्ज है। ख.न. 422 में से 422/2 के रूप में साढ़े तीन बिघा

Scanned by CamScanner

- बारानी 2 हिरागिरी पुत्र फुलगिरी गुसाई साकिन देह दससाला आवंटित के नाम दर्ज है। 522/2 के नए नम्बर 522 बने हैं। जो भी सिवायचक में दर्ज है। जिसे तहसीलदार बेदखल करने पर आमादा है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का सन्तुलन प्रथम दृष्टया केस तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः अप्रार्थी पैरोकार सरकार को पाबन्द किया जाता है कि वे उनके नौकर-चाकर, हाली सिरी एजेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे तथा प्रार्थिया को जबरन बेदखल नहीं करे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्णायक नहीं है। हक अधिकार का प्रश्न बाद शहादत मूल वाद से तय होगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करे।

आदेश अटल सेवा केन्द्र रामपाली में मजमेआम में सुनाया गया।

प्रधान
प्रधान
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner